ELE/8/2024-ELECT-1-Election Department

जावी

/223523/2024

(267)

# कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4—सुभाष रोड़, देहरादून— 248001
Email id-ceo_uttaranchal@eci.gov.in फैक्स न0 (0135) -2713724फोन न0(0135) – 2713551

संख्या 3615/ XXV–12(P-14) / 2021 देहरादून : दिनांक 08 जुलाई,2024

**सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तांतरण के लिए प्रपत्र**

सेवा में,

पंजीकृत

समस्त लोक सूचना अधिकारी /
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषय— सूचना के अधिकार अधिनियम—2005 के तहत सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक श्री योगेश चौहान, मीडिया प्रभारी, उत्तराखण्ड मूल निवासी पिछड़ा वर्ग मोर्चा निवासी झण्डीचौड (पूर्वी) पोस्ट झण्डीचौड (उत्तरी) कोटद्वार गढवाल, उत्तराखण्ड का अनुरोध पत्र दिनांक 30.06.2024 जो इस कार्यालय में दिनांक 04.07.2024 को प्राप्त हुआ है, की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचनाएं आपके कार्यालय से सम्बन्धित हैं।

अतः अनुरोध पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आपको हस्तान्तरित किया जा रहा है। कृपया अनुरोधकर्ता को अपने कार्यालय से सम्बन्धित वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न—यथोपरि।

भवदीय,

**Signed by Basant Singh Rawat**
**Date: 08-07-2024 17:23:58**

(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एंव
लोक सूचना अधिकारी
मो0न0—9411740189

पृ0संख्या— 3615/ XXV– 12(P-14) / 2021, तददिनांक।

प्रतिलिपिः— श्री योगेश चौहान, मीडिया प्रभारी, उत्तराखण्ड मूल निवासी पिछड़ा वर्ग मोर्चा निवासी झण्डीचौड (पूर्वी) पोस्ट झण्डीचौड (उत्तरी) कोटद्वार गढवाल, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित। (पंजीकृत)

(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एंव
लोक सूचना अधिकारी

Received
4/7/2024

पंजीकृत – महत्वपूर्ण – आर० टी० आई० मामला।
आवेदनकाल की सूचना देने की कृपा करें
दिनांक 30-6-2024

सेवा में,

श्रीमान लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी।
विश्वकर्मा भवन प्रथम तल सुभाष रोड सचिवालय
परिसर देहरादून। – 248001

विषय – सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना चाहने हेतु आवेदन पत्र।

महोदय,

निवेदन है कि साक्ष्य संलग्न सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी देहरादून उत्तराखण्ड ने आदेश संख्या – 3118/XXX–06/2024 देहरादून दिनांक 28 मई 2024 से समस्त रिटर्निंग ऑफिसर 1 टिहरी 2 पौड़ी गढ़वाल 3 अल्मोड़ा (अ०जा०) 4 नैनीताल उधमसिंह नगर 5 हरिद्वार एवं 2– समस्त जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड को आदेश दिये हैं।

अत: आपसे निवेदन किया जा रहा है कि उपरोक्त विषय के अन्तर्गत निम्न बिन्दुओं पर बिन्दुवार सूचना देने की कृपा करें।

बिन्दु नं० 1 – उपरोक्त आदेश के पालन में समस्त रिटर्निंग ऑफिसर एवं समस्त जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड के द्वारा कृत कार्यवाही की प्रति देने की कृपा करें। एवं

बिन्दु नं० 2 – बिन्दु नं० 1 पर अंकित की कृत कार्यवाही पर आपके कार्यालय द्वारा कृत कार्यवाही की भी प्रति देने की कृपा करें।

साक्ष्य संलग्न दिनांक 28 मई 2024 की प्रति एवं 10 रु० का चैक सं० 045633

योगेश चौहान

मीडिया प्रभारी उत्तराखण्ड हल्ला निवासी पिछड़ावर्ग मोर्चा निवासी ग्राम चौड़ (पु० पो० मण्डी चौड़ (30) कोटद्वार गढ़वाल उत्तराखण्ड – 246149

)90/2024

ELE-ELE/3/2024-ELECT-1-Election Department

# कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथमतल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001

फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551 फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्या 3118 /XXV–06/2024 देहरादून : दिनांक 28 मई,2024

**सेवा में,**

1– समस्त रिटर्निंग ऑफिसर,
1. टिहरी गढवाल 2. पौडी गढ़वाल 3. अल्मोडा(अ0जा0)
4. नैनीताल–उधमसिंहनगर 5. हरिद्वार।

2– समस्त जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

**विषयः–** उत्तराखण्ड के समस्त तहसीलदारों द्वारा ताम्रकार(टम्टा), लोहार, बढ़ई, सोनार, दर्जी आदि **पिछड़ी जातियों एवं कोली सामान्य जाति एवं वादी, बाजगी आदि अनुसूचित जाति की मूल जाति छिपाकर शिल्पकार जाति से फर्जी प्रमाण–पत्रों पर अल्मोड़ा लोक सभा अनुसूचित जाति की पर रोक लगाई जाय एवं अनुसूचित जाति की विधानसभाओं में आरिक्षत सीट पर शिल्पकार जाति से अनुसूचित जाति के फर्जी प्रमाण पत्रों पर भी लगाई जाने एवं जिला देहरादून चकाराता एवं ननकमत्ता अनुसूचित जनजाति विधान सभा आरक्षित सीट पर ब्राहमण/क्षत्रीय राजपूत सामान्य जाति के फर्जी प्रमाण–पत्रों पर रोक लगाये जाने हेतु।**

**महोदय,**

उपरोक्त विषयक कृपया राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–23/रा0नि0आ0–3/1113/(1)/2017 दिनांक 08.04.2024(प्रति संलग्न) के साथ संलग्न शिकायती पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। शिकायतकर्ता द्वारा अपने उक्त प्रार्थना पत्र में लोकसभा/विधानसभा निर्वाचन में विभिन्न जातियों के फर्जी प्रमाण पत्र वाले व्यक्तियों/उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोके जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायत का विवरण निम्नवत है:–

| रा0नि0आयोग के पत्र सं0–23 दि0–18.04.2024 में वर्णित तालिका में शिकायत/ अनुरोध पत्र की कम संख्या | अनुरोधकर्ता/शिकायतकर्ता का नाम व पता | विषय |
|---|---|---|
| 05 | श्री योगेश चौहान, मीडिया प्रभारी, उत्तराखण्ड मूल निवासी पिछड़ा वर्ग मोर्चा निवासी झण्डीचौड (पूर्वी) पोस्ट झण्डीचौड़ (उत्तरी) कोटद्वार गढ़वाल, उत्तराखण्ड का पत्र दि0–20मार्च, 2024 | विधान सभा निर्वाचनों में विभिन्न जातियों के फर्जी प्रमाण–पत्रों वाले उम्मीदवारों को निर्वाचन लड़ने से रोके जाने के सम्बन्ध में। |

अतः राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के उपरोक्त पत्र दिनांक 08 अपैल, 2024 के साथ शिकायतकर्ता के आवेदन पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि कृपया वर्णित शिकायत पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जॉच करवाकर निमयानुसार यथोचित कार्यवाही कर, कृत कार्यवाही से यथाशीघ्र इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

Signed by Mastu Das
Date: 28-05-2024 18:39:36
(मस्तू राम)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।